न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत कैम्प नोवी, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 13/2018
दायर तिथि– 21.02.2018
तारीख फैसला– 01.05.2018

वादी–
तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

बनाम

प्रतिवादीगण–
1–अशोक पुत्र हजाराम कौम मीणा
2–लक्ष्मी पुत्री हजाराम कौम मीणा
3 चौपाराम पुत्र जूजाराम कौम मीणा
4–नोपाराम पुत्र जूजाराम कौम मीणा
5–चम्पा पुत्री जूजाराम कौम मीणा
6–कमला पुत्री जूजाराम कौम मीणा
7–हंजा पुत्री जूजाराम कौम मीणा
निवासी नोवी तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राजस्थान)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट, 1955

–:निर्णय:–

वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा नोवी में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 771 रकबा 2.37 हैक्टर खसरा नं. 772 रकबा 0.12 हैक्टर खसरा नं. 773 रकबा 0.05 हैक्टर खसरा नं. 774 रकबा 6.15 हैक्टर कुल रकबा 8.69 हैक्टर है। जिसमें वादी का 5/6 व प्रतिवादीगण का 1/6 हिस्सा आता है। रिपोर्ट व नजरी नक्शा पटवारी हल्का नोवी से प्राप्त कर रेकर्ड पर लिये गये जिसके फलस्वरूप उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य बाईं मिटस एंड बाउण्डस के तहत निम्न रूपेण अन्तिम विभाजन किया जाता है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा(हैक्टर)	किस्म	लगान
1	सिवायचक (राजस्थान सरकार)	771	2.37	जा.सी	3.78
				चा.सी	36.60
		772	0.12	गै.मु.बेरा	–
		773	0.05	गै.मु.टेक	–
		774	4.70	जा.सी 0.94	6.58
				चा.सी 3.76	75.20
		4	7.24		122.16
2	अशोक पुत्र हजाराम लक्ष्मी पुत्री हजाराम चौपाराम नोपाराम पि. जूजाराम चम्पा कमला हंजा पि. जूजाराम कौम मीणा सा. देह खातेदार	774/1	1.45	जा.सी	10.15

अतः वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर उपरोक्तानुसार अन्तिम विभाजन किया जाता है तथा बटवाड़ा मुजब खातेदार एक–दूसरे की बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवं ना ही अन्य किसी से करायेंगे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। माफिक बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतिम पत्रों मुर्तिब हो। तहसीलदार सुमेरपुर एवं हल्का पटवारी नोवी उपरोक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। पटवारी हल्का नोवी से प्राप्त प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस निर्णय अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प नोवी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner